न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30/2023 (2023/96) वाद पत्र

अनवान

1. रेखाकंवर पत्नि भुपेन्द्रसिंह चारण निवासी मण्डोल हाल नि.रायपुर तह.अरनोद जि. प्रतापगढ़

वादीया

बनाम

1. लादुसिंह पिता लक्ष्मणदानसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरदानसिंह पिता पदमदानसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 179, 183, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. सुनील बापना — वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—04.07.2024

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 179, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मण्डोल पटवार मण्डल पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी के स्वामित्व की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 हैक्ट, आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 हैक्टर, आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 हेक्टर, अराजी संख्या 579 रकबा 0.64 हेक्टर के कुछ हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लिया इसकी जानकारी वादीया को होने पर वादीया ने उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया जो दिनांक 26.07.2022 को स्वीकार हुआ। इस आदेश की क्रियान्विती में माफिक आदेश भू—अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने बसामलात ग्राम के मोतबिरान को साथ लेकर प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मुस्तकिल निशान को आधार बनाकर नपती शुरू की एवं जमीन को नापकर पत्थर लगवाये गये, जिसमे आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 हेक्टर के पश्चिंम दिशा में रकबा 0.15 है0 भूमि पर, एवं आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 है0 सम्पूर्ण पर व आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 के दक्षिणी दिशा में 0.02 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 की दक्षिणी दिशा में रकबा 0.05 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 है0 के दक्षिण दिशा में 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा पाया गया, जिसे हल्का पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक ने अपने पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 04.01.2023 मे स्पष्ट रूप से दर्शाया हैं प्रमाण मे प्रमाणित प्रति पत्थरगढी आदेश, पर्चा मौका दिनांक 04.01.2023 की प्रमाणित

प्रति वादपत्र के साथ पेश हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने वादिया की जमीन पर से अपना अनाधिकृत आधिपत्य नहीं हटाया। जबकि वादीया के खातेदारी अधिकार की उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को न तो अनाधिकृत कब्जा करने का अधिकार है और न रखने का ही फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 मनमाना तौर पर दादागिरी व भूजबल के आधार पर व संख्या मे अधिक होने से वादिया द्वारा कराई गई पत्थरगढ़ी के दौरान भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नसब कराये गये पत्थरों को जो कि सीमा चिन्ह थे को कानून को हाथ मे लेकर पत्थर हटा दिये तथा वादीया को कब्जा सिपूर्द करने बाबत भी मना कर दिया जबकि उनको वादीया की खातेदारी की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को कई मर्तबा कहा कि वे वादिया के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की जमीन जिसका वर्णन वादपत्र की कलम संख्या 1 मे किया गया हैं का कब्जा वादीया को सुपुर्द कर दें और अन्तिम बार दिनांक 10.02.2023 को कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिससे वादीया को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 हेक्टर के पश्चिम दिशा में रकबा 0.15 है0 भूमि पर, एवं आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 है0 सम्पूर्ण पर व आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 के दक्षिणी दिशा में 0.02 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 की दक्षिणी दिशा में रकबा 0.05 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 है0 के दक्षिण दिशा में 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा पाया गया उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाकर वादीया के पक्ष में कब्जेयापी की डिक्री सादिर फरमाई जावे। साथ ही बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात को प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द नही करे भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट नही करे एवं उक्त आराजी में खड़े वृक्षो को नही काटे एवं बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 फसल लाभ व घास हर्जे की राशि 50000/– रूपया सालाना से कब्जा मिलने तक वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 से 2 से दिला पाने की डिक्री सादर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीया के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीया को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीया की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 हेक्टर, आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0, आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0, आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादीया की आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीया लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीया की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डोल की आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 हेक्टर के पश्चिम दिशा में रकबा 0.15 है0 भूमि पर, एवं आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 है0 सम्पूर्ण पर व आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 के दक्षिणी दिशा में 0.02 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 की दक्षिणी दिशा में रकबा 0.05 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 2218/549 रकबा 0.31 है0 के दक्षिण दिशा में 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे को हटाया जाकर वादीया को दिलाया जावे एवं इसी के साथ बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीया की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलंदाजी व खुर्द बुर्द व नष्ट नही करे न ही किसी अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला पाली

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (मालवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30 / 2023 (2023 / 96) वाद पत्र

अनवान

1. रेखाकंवर पत्नि भुपेन्द्रसिंह चारण निवासी मण्डोल हाल नि.रायपुर तह.अरनोद जि. प्रतापगढ़

वादीया

बनाम

1. लादुसिंह पिता लक्ष्मणदानसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पुष्पाकंवर पत्नि गिरधारीसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरदानसिंह पिता पदमदानसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 179, 183, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डोल की आराजी संख्या 2218 / 549 रकबा 0.31 हेक्टर के पश्चिम दिशा में रकबा 0.15 है0 भूमि पर, एवं आराजी संख्या 556 रकबा 0.35 है0 सम्पूर्ण पर व आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 के दक्षिणी दिशा में 0.02 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 579 रकबा 0.64 है0 की दक्षिणी दिशा में रकबा 0.05 है0 भूमि पर, आराजी संख्या 2218 / 549 रकबा 0.31 है0 के दक्षिण दिशा में 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे को हटाया जाकर वादीया को दिलाया जावे एवं इसी के साथ बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीया की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलदांजी व खुर्द बुर्द व नष्ट नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

डिक्री आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)